प्रेषक,

उपायुक्त, गुरूग्राम।

सेवा मे

Vijay Goel (Director)
M/s Navi Estates LLP,
Regd. Office 15, Jain Mandir compound,
Connaught Place, New Delhi-01

क्रमांक 03 /एम0बी0 दिनांक 02-1-2020

विषयः- Clarification regarding Applicability of Aravali NOC.

उपरोक्त विषय पर आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में।

तहसीलदार, सोहना ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 1270/रीडर दिनांक 30.12.2019 के द्वारा पटवारी हल्का रिर्पोट इस कार्यालय मे प्रेषित की है, जिसमें लिखा है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड बरूवे इन्तकाल नं0 1589 बैय अनुसार मु0 5 किला नं0 11/1/1(3-12), 11/2/1(3-8), 12/1/1(2-10), मु0 नं0 6 किला नं0 13/1(0-10), 14/1(4-0), 15/1/1(2-15), 15/2/1(4-5) किता 7 कुल रकबा 21 कनाल 0 मरला सालम की मालिक श्रीमति मोनिका रायजादा पत्नी नवीन रायजादा निवासी 15, जैन मन्दिर कम्पाऊंड, नजदीक शिवाजी स्टोडियम, नई दिल्ली है। उपरोक्त नम्बरान की बिन्दुवार रिर्पोट निम्न प्रकार से हैं:-

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित किला नम्बरान अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. उपरोक्त अराजी मिसल हकीयत/चकबन्दी तक कभी भी गैर मुमकिन पहाड, गैर मुमकिन राड़ा, गैर मुमकिन बीहड़ या रून्द्र नही है। लेकिन उपरोक्त अराजी बंजर कदीम रही है।
3. उपरोक्त आराजी 07.05.1992 नोर्टिफिकेशन से पूर्व व पश्चात अराजी मुतनाजा बंजर कदीम है।
4. उपरोक्त अराजी मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामलात देह पंचायत देह नगर पालिका नगर निगम की मलकियत नही रही है।
5. उपरोक्त अराजी पर राजस्व रिकार्ड में किसी भी माननीय न्यायालय के केस का इन्द्राज दर्ज नहीं है लेकिन मु0 न0 -6, किला नं0 13/1 मिन (0-10), 14/1 मिन (0-2) का अवार्ड हो चुका है।
6. उपरोक्त अराजी के राजस्व रिकार्ड में SEZ मे होने का कोई इन्द्राराज दर्ज नही है।

वन मण्डल अधिकारी, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 2890-जी0 दिनांक 19.12.2019 के द्वारा अपनी रिर्पोट में लिखा है कि गांव घुनेला, जिला गुरूग्राम के खसरा नं0 5//11/1/1 (3-12), 11/2/1(3-8), 12/1/1(2-10), 6//13/1(0-10), 14/1(4-0), 15/1/1(2-15), 15/2/1(4-5) कुल रकबा 21 कनाल 0 मरला व बारे इस विभाग की सूचना निम्न प्रकार से भेजी जाती है:-

1 प्रस्तावित क्षेत्र अरावली पौधारोपण से बाहर है।

2 प्रस्तावित क्षेत्र PLPA-1900 की धारा-4 व 5 के अन्तर्गत नही आता है।

3 प्रस्तावित क्षेत्र पर PLPA-1900 की समान्य धारा 4 लगती है। जिसके अन्तर्गत पेडो की कटाई प्रतिबन्धित है। (सफेदा, पोपलर बकायन, उल्लू नीम, शहतूत, अमरुद एंव बांस के अलावा) यदि किसी वृक्ष के काटने की आवश्यकता होगी तो उसकी अनुमति अलग से ली जानी होगी।

4 यदि इस भूमि में प्रस्तावित क्षेत्र के लिए वन भूमि से रास्ते की आवश्यकता होगी तो वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति अनिवार्य होगी।

5 प्रस्तावित स्थल सुल्तानपुर नैशनल पार्क के पांच कि0मी0 के दायरे से बाहर है।

अतः तहसीलदार सोहना व वन मण्डल अधिकारी, गुरुग्राम की रिर्पोट अनुसार उपरोक्त वर्णित किला नं. की Aravali/Non Forest Land रिर्पोट जारी की जाती है।

कृतेः उपायुक्त, गुरूग्राम।